

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-12/वि0-135/2025 931

पटना, दिनांक:- 19.6.25

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में गर्मी एवं लू की स्थिति के कारण ग्रामीण इलाकों के भू-जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण-शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 1216 अदद नये चापाकलों (नये उन्नत क्षमता के इंडिया मार्क-II चापाकल का निर्माण प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोखता सहित) हेतु रू0 1215.047 लाख (बारह करोड़ पन्द्रह लाख चार हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में गर्मी एवं लू की स्थिति के कारण ग्रामीण इलाकों के भू-जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल/पुराने जीर्ण शीर्ण बंद चापाकलों के अकार्यरत होने की स्थिति में पेयजल समस्या से निजात हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखाड़) के तहत नये चापाकलों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि के तहत कुल 1216 अदद नये चापाकलों (नये उन्नत क्षमता के इंडिया मार्क-II चापाकल का निर्माण प्लेटफॉर्म एवं नाली तथा सोखता सहित) हेतु रू0 1215.047 लाख (बारह करोड़ पन्द्रह लाख चार हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

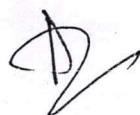
- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग से विभागीय पत्रांक-599, दिनांक-17.04.2025 के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र संख्या-03/बजट-01-18/2025/28-आ0प्रा0, दिनांक 09.05.2025 द्वारा रू0 2000.00 लाख रुपये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया गया है (संलग्न-परिशिष्ट-I)।

इसके लिए बजट शीर्ष स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष -01-सूखा, लघु शीर्ष-282-लोक स्वास्थ्य, उप शीर्ष -0002-जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मत, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245012820002 में विषय शीर्ष-27 02-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

- इस योजना की तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण) द्वारा प्रदान की गयी है।

12

4. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलावार चापाकलों का प्रकार, लक्ष्य एवं राशि परिशिष्ट-II पर संलग्न है।
5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
6. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
7. इस योजना को तीन माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. स्वीकृत योजना अंतर्गत चापाकलों का निर्माण जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर एस0सी0-एस0टी0 बसावटों तथा पेयजल समस्याग्रस्त टोलों/बसावटों में किया जायेगा एवं विभागीय MIS पर Geo-Tag करने एवं सामाजिक सत्यापन के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।
9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जा सकता है।
10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।
11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग होंगे।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
14. वित्त विभाग की संकल्प संख्या-96 वि (2), दिनांक-03.01.2008 एवं संकल्प संख्या-एम 4-53/2007/12888/वि0 दिनांक-03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।



15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में इस योजना के स्वीकृति की सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।
17. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।
18. वर्ष 2025-26 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पत्र संख्या-03/बजट-01-18/2025/28-आ0प्रा0, दिनांक 09.05.2025 द्वारा रु0 2000.00 लाख रुपये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी राशि से योजना पर व्यय किया जायेगा।
19. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
अनुलग्नक-यथोपरि।

Ankur
19/06/2025
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य-प्रबंधन)

ज्ञापांक - 931

पटना, दिनांक- 19/6/25

- प्रतिलिपि: 1. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (उ0बि0)/मुख्य अभियंता (द0बि0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/उप सचिव (प्र0को0)/कार्यवाहक सहायक-12/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/पटना प्रक्षेत्र, पटना/भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पटना/ सासाराम/ गया/आरा/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/भागलपुर/मुंगेर एवं बेगूसराय/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व/पटना पश्चिम/ बिहारशरीफ/ हिलसा/ गया/शेरघाटी/नवादा/जहानाबाद/आरा/बक्सर/अरवल/औरंगाबाद/सासाराम/ भभुआ/सीतामढ़ी/दरभंगा/भागलपुर पूर्व/भागलपुर पश्चिम/बांका/बाराहाट/ मुंगेर/ शेखपुरा/जमुई एवं लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।
5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

Ankur
19.06.2025
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य-प्रबंधन)

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में गर्मी एवं लू की स्थिति तथा खिलों में जल स्तर के गिरावट के कारण पेयजल हेतु प्राकृतिक आपदा (सुखार) के तहत नये यापकलों का निर्माण कार्य

Sl No.	Name of District	Name of P.H. Division	Construction of 125mmX40mmX61M deep tube well with IM-II Hand pump @ 0.85900 Lakh			Construction of 125mmX45M deep Gravel Packed Tube well (G.P.T.) with IM-II Hand pump @ 0.89200 Lakh			Construction of 125mm/115mm X 60M deep Drilled Tube well (D.T.) with IM-II hand pump @ 1.003 Lakh			Construction of 40mmX26M deep Shallow hand pump @ 0.22250 Lakh			Total No. of Hand Pumps	Total Amount for construction of Hand Pumps	Construction of 1.0 m dia X 2.0 m Deep Soakpit @ 0.085 Lakh			Total Amount
			Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)		Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)		Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)		Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)				Physical (In Nos.)	Financial (Rs. In Lakhs)		
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	11		12	13		14	15	16
1	Patna	Patna East	30	25.77000			0.00000			0.00000			0.00000		30	25.77000		30	2.55000	28.32000
2		Patna West	30	25.77000			0.00000			0.00000			0.00000		30	25.77000		30	2.55000	28.32000
3		Biharsarif	20	17.18000		30	26.76000			0.00000			0.00000		50	43.94000		50	4.25000	48.19000
4	Nalanda	Hilsa	20	17.18000		30	26.76000			0.00000			0.00000		50	43.94000		50	4.25000	48.19000
5		Gaya		0.00000		35	31.22000		35	35.10500			0.00000		70	66.32500		70	5.95000	72.27500
6	Gaya	Sherghati		0.00000		25	22.30000		25	25.07500			0.00000		50	47.37500		50	4.25000	51.62500
7		Nawada		0.00000		30	26.76000		40	40.12000			0.00000		70	66.88000		70	5.95000	72.83000
8	Jehanabad	Jehanabad	15	12.88500		10	8.92000			0.00000			0.00000		25	21.80500		25	2.12500	23.93000
9	Bhojpur	Ara	30	25.77000		35	31.22000			0.00000			0.00000		65	56.99000		65	5.52500	62.51500
10	Buxar	Buxar	20	17.18000			0.00000			0.00000			0.00000		20	17.18000		20	1.70000	18.88000
11	Arwal	Arwal		0.00000		30	26.76000		15	15.04500			0.00000		45	41.80500		45	3.82500	45.63000
12	Aurangabad	Aurangabad		0.00000		30	26.76000		20	20.06000			0.00000		50	46.82000		50	4.25000	51.07000
13	Rohitash	Sasaram		0.00000		30	26.76000		25	25.07500			0.00000		55	51.83500		55	4.67500	56.51000
14	Kaimur	Bhabhua		0.00000		30	26.76000		25	25.07500			0.00000		55	51.83500		55	4.67500	56.51000
15	Sitamarhi	Sitamarhi	30	25.77000			0.00000			0.00000			0.00000		30	25.77000		30	2.55000	28.32000
16	Darbhanga	Darbhanga	50	42.95000			0.00000			0.00000			0.00000		50	42.95000		50	4.25000	47.20000
17	Bhagalpur	Bhagalpur East	25	21.47500		30	26.76000		15	15.04500			0.00000		70	63.28000		70	5.95000	69.23000
18		Bhagalpur West	15	12.88500		30	26.76000		10	10.03000			0.00000		55	49.67500		55	4.67500	54.35000
19	Banka	Banka		0.00000		28	24.97600		30	30.09000			0.00000		58	55.06600		58	4.93000	59.99600
20		Barahat		0.00000		28	24.97600		30	30.09000			0.00000		58	55.06600		58	4.93000	59.99600
21	Munger	Munger	10	8.59000		20	17.84000		30	30.09000					60	56.52000		60	5.10000	61.62000
22	Sheikhpura	Sheikhpura	10	8.59000		20	17.84000		10	10.03000					40	36.46000		40	3.40000	39.86000
23	Jamui	Jamui		0.00000		50	44.60000		30	30.09000					80	74.69000		80	6.80000	81.49000
24	Lakhisarai	Lakhisarai	20	17.18000		30	26.76000								50	43.94000		50	4.25000	48.19000
		Total	325	279.175		551	491.492		340	341.020		0	0.000		1216	1111.687		1216	103.360	1215.047

22

T.A. awarded for Rs 1215.047 cttq (Twelve crore fifteen lakhs four thousand seven hundred two)

03/06/25
03/06/25
03

03/06/25
03/06/25
03

03/06/25
03/06/25
03

03/06/25
03/06/25
03